

कायालय प्रधान मुख्य वन सरक्षक एवं वन बल प्रमुख (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश
वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/842664/I/1112661/2026

भोपाल दिनांक :23-06-2026

प्रति,

सहा. वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
 लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु **17.418** हे. (वनमंडल अनूपपुर की **3.418** हे. एवं वनमंडल डिण्डौरी की **14.00** हे.) वनभूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बाबत। **(FP/MP/WATER/50101/2020)**

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एमपीआर 032/2023- बीएचओ, दिनांक 22.12.2023.

--0--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व चाही गई निम्न बिन्दुओं की जानकारी संबंधितों से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र.	बिन्दु	उत्तर
1	The proposed proposal comes under Bio-sphere Reserve Area. Recommendation/ comments shall be submitted.	परियोजना बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर द्वारा सहमति दी गयी है, सुलभ संदर्भ हेतु अभिलेखों की प्रति संलग्न है।
2	KML file of Alternative alignments shall be submitted/uploaded on webportal.	इस संबंध में वनमण्डल अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 17.418 हेक्टेयर सही है मान्य किया जावे। परियोजना स्थापित करने के लिए अन्य कोई स्थल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण वैकल्पिक स्थलों की केएमएल फाईल अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
3	Justification for location of the project shall be submitted/uploaded.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना की औचित्य टीप पोर्टल पर अपलोड की गयी है।
4	No objection certificates of concerned departments (Road, TL, WRD etc) shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग अनूपपुर का अनापत्ति प्रकरण पत्र प्रस्तुत किया है, प्रति संलग्न है।
5	Muck disposal Scheme shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत Muck disposal Scheme की प्रति संलग्न है।
6	Administrative approval / Sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है।
7	Number of trees proposed in FRL. FRL-2 & FRL-4 shall be submitted.	परियोजना में प्रभावित वृक्षों की जानकारी वनमंडलाधिकारी, डिण्डौरी एवं वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर से द्वारा प्रस्तुत की गयी है, प्रति संलग्न है।
8	The proposed non-forest CA land 36.269 ha instead of 17.418 ha shall be clarified.	इस सबंध में वनमण्डल अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवेदक विभाग द्वारा ग्राम अमरकंटक में 15.419 हे० राजस्व भूमि एवं ग्राम करौंदाटोला में 20.850 हे० राजस्व वनभूमि (दोगुनी) उपलब्ध कराई गयी है।
9	Catchment Area Treatment Plan shall be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत Catchment Area Treatment Plan की प्रति संलग्न है।
		परियोजना अंतर्गत कलेक्टर, जिला डिण्डौरी एवं कलेक्टर,

10	FRA certificate needs to be submitted.	जिला अनूपपुर द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र को प्राप्ति संलग्न है।
11	The proposal involved vicinity of areas and structures having cultural importance and it is to be constructed in biosphere reserve so prior discussing the proposal in REC, it is better to get a detailed technical report on the socio-cultural impacts of constructing the proposed reservoir along with impacts over adjoining wildlife.	इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
12	The Noc of local habitants / villagers for the project shall be submitted.	इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी/ग्रामीणों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
13	In general, the submergence area does not required felling of trees. The proposal involved felling of 3178 trees therefore, comments from the DFO shall be submitted in this regard.	इस संबंध में वनमंडलाधिकारी, डिण्डौरी एवं वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर से द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।
14	The cost benefit analysis in prescribed format required to submit.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत cost benefit analysis प्रत्रक की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त शहडोल/वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल, डिण्डौरी/अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमकटक, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

PCCF(O/o APCCF-LAND MANAGEMENT)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी (म.प्र.)

TELEPHONE (O) 07644- 234400 (R) 07644-234066 (FAX) 07644 - 234024 PIN 481880, E-mail- dfotddori@mp.gov.in

क्रमांक/ मा.चि./ 621

डिण्डौरी दिनांक 22/06/2026

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

विषय :- जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे० (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418हे० एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00हे०) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-3 /91/842664/0055/9 दिनांक 30.09.2025
2. कार्यालय नगर परिषद अमरकंटक जिला - अनूपपुर (म०प्र०) का पत्र क्रमांक/766 /ना०परि०/तक०/2026

-0-

विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPR/032/2023-BHO दिनांक 22.12.2023 से प्रकरण में 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी, भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि/725 दिनांक 04.08.2025 से आपकी और प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा प्रेषित जानकारी में पुनः 09 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक द्वारा संदर्भित पत्र क्र०-02 से अपनी जानकारी इस कार्यालय में परिवेश पोर्टल के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया गया है। एकजाई समस्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र०	विवरण	कार्यवाही
02	आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्र. D(i) में अपलोड तुलनात्मक विवरण पत्रक 18.605 है. वनभूमि का अपलोड किया गया है जबकि परियोजना के निर्माण हेतु 17.418 है. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है साथ ही प्रस्तावित वन भूमि की Alternative KML File पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है।	उक्त बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि तुलनात्मक विवरण पत्रक में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुसंशित वन भूमि 17.418 हे० सही जिसे मान्य किया जावे। परियोजना स्थापित करने के लिए अन्य कोई स्थल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण वैकल्पिक परियोजना की केएमएल फाईल पोर्ट में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। संलग्न-1
03	औचित्य टीप पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है. अतः परियोजना को वनक्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में एक तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।	आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत रूप से तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार की जा चुकी है। संलग्न 2.3

04	प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग का NOC पत्र संलग्न किया गया है विद्युत विभाग, जलसंसाधन विभाग आदि विभागों का NOC पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।	आवेदक संस्थान द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग अनूपपुर एवं विद्युत विभाग द्वारा अनापति पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न 4, 5, 6															
07	वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर/डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत वृक्षों की जानकारी सही नहीं है आतः बांध बांध निर्माण में आने वाले वृक्षों की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना पत्रक प्रस्तुत करें।	परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना FRL में किया जाकर आनलाईन परिवेश पोर्टल 1.0 के भाग-2 में प्रविष्टि की जा चुकी है। एवं FRL-2 एवं FRL-4 फकी गणना पत्रक संलग्न है। संलग्न 7,8,9,10															
08	प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार को प्रेशित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 17.418 है. वनभूमि के विरुद्ध CA हेतु 36.269 है गैर वनभूमि प्रस्तावित की गई थी, इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे। साथ ही यह भी लेख है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1960 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है।	प्रकरण मे 17.418 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसके विरुद्ध निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है । <table><tr><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>रकबा (हे.मे)</th><th>भूमि का नोईयत</th><th>रिमार्क</th></tr><tr><td>अमरकंटक</td><td>अमरकंटक</td><td>15.419</td><td>राजस्व भूमि</td><td>मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।</td></tr><tr><td>राजेन्द्र ग्राम</td><td>करौंदाटोला (पडवा-डोंगरी)</td><td>20.850</td><td>राजस्व वनभूमि</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20 850 हे उपलब्ध कराई गई है. उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आधादित होने के कारण बाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।</td></tr></table> वनीकरण योजना परिवेश पोर्टल के भाग7 2 मे अपलोड की गई है।	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे.मे)	भूमि का नोईयत	रिमार्क	अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।	राजेन्द्र ग्राम	करौंदाटोला (पडवा-डोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20 850 हे उपलब्ध कराई गई है. उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आधादित होने के कारण बाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।
परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे.मे)	भूमि का नोईयत	रिमार्क													
अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।													
राजेन्द्र ग्राम	करौंदाटोला (पडवा-डोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20 850 हे उपलब्ध कराई गई है. उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आधादित होने के कारण बाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश कमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।													
10	आवेदक संस्था द्वारा जिला कलेक्टर अनूपपुर को FRA प्रमाण पत्र आवंटित हेतु लेख किया गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जबकि परियोजना में डिण्डौरी जिले की वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। अतः कलेक्टर जिला डिण्डौरी से भी FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे।	आवेदक संस्थान द्वारा जिला डिण्डौरी एवं जिला अनूपपुर से FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। संलग्न 11, 12															

11	भारत सरकार के चाहे अनुसार बांध निर्माण से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पहनें वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में किये गये अध्ययन पर आधारित विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।	1. आवेदक संस्थान द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न 13 से 17 2. परिक्षेत्र अधिकारी के पत्र क्र0/207 दिनांक 23.03.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है। संलग्न 18
12	बांध निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों / ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे साथ ही बैठक की पूर्ण कार्यवाही मय उपस्थिति पंजी सहित प्रस्तुत किया जाये।	आवेदक संस्थान द्वारा स्थानीय निवासी / ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न -19, 20
14	भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप पर Cost Benefit Analysis तैयार किया जाकर पोर्टल पर निर्धारित बिन्दु में अपलोड किया जायें।	आवेदक संस्थान द्वारा cost benefit analysis report की जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न 21 से 23

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार सोलंकी)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

डिण्डौरी दिनांक 22/06/2026

पृ0क्र0/मा.चि./ 622

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ ।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

कार्यालय नगर परिषद् अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म०प्र०)
E-Mail: Cmoamarkantak@mpurban.gov.in fax No. 07629-269441

Alternative KML File

तुलनात्मक विवरण पत्रक में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुसंशित वन भूमि 17.418 हे० सही है जिसे मान्य किया जावे। परियोजना स्थापित करने के लिए अन्य कोई स्थल/ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण वैकल्पिक परियोजना की केएमएल फाईल पोर्टल में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म०प्र०)

कपिल धारा(वन भूमि) पर प्रस्तावित बैराज (बांध) निर्माण का तकनीकी औचित्य

पवित्र नगरी अमरकंटक में वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत नगरी की वाटर सप्लाई स्कीम स्वीकृत है जिसके तहत सतही जल स्रोत का चयन कर 270 मी० लम्बा 12 मी० ऊँचाई का बैराज का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है इस विषय के परपेक्ष में तकनीकी औचित्य निम्नानुसार है:-

1. वर्तमान भूजल स्रोतों की अपर्याप्तता

- सीमित आपूर्ति क्षमता: वर्तमान जल आपूर्ति प्रणाली पूरी तरह से 10 ट्यूबवेल और 28 हैंडपंपों पर निर्भर है, जो मिलकर अधिकतम केवल 0.21 MLD पानी ही दे पाते हैं। यह मात्रा भविष्य की कुल मांग के मुकाबले बेहद कम है।
- गर्मी में भारी गिरावट: अमरकंटक में हर साल फरवरी से जून महीने के बीच जलस्तर में भारी गिरावट आती है। इस कारण ट्यूबवेल और हैंडपंप काम करना बंद कर देते हैं और गर्मियों में पानी की तीव्र किल्लत हो जाती है।
- अत्यधिक गहरा वाटर टेबल: शहर के विभिन्न हिस्सों में भूजल का स्तर 110 मीटर से लेकर 400 मीटर तक गहरा हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि भूमिगत जल स्रोत पूरी तरह से तनाव में हैं और लंबे समय तक शहर का बोझ नहीं उठा सकते।

2. भविष्य की जनसंख्या और पानी की मांग का आकलन

- दीर्घकालिक योजना (डिज़ाइन वर्ष): इस परियोजना को आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन वर्ष 2055 तक के लिए तैयार किया गया है।
- बढ़ती जनसंख्या: वर्ष 2055 तक अमरकंटक की स्थाई आबादी बढ़कर 15,700 होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, एक प्रमुख तीर्थस्थल ("तीर्थराज") होने के कारण यहाँ प्रतिदिन लगभग 10% फ्लोटिंग (आने-जाने वाले) श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। जोकि शिवरात्री मेला की नर्मदा जी जन्मोत्सव में लगभग 1 लाख प्रतिदिन तक बढ़ जाती है।
- पानी की कुल मांग: स्थाई निवासियों के लिए CPHEEO मानकों के अनुसार 135 LPCD और श्रद्धालुओं के लिए 15 LPCD की दर से शुद्ध पानी की कुल आवश्यकता 2.14 MLD MLD आंकी गई है।
- कच्चे पानी (Raw Water) का लक्ष्य: ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले 15% नुकसान को जोड़ने के बाद, जल स्रोत से प्रतिदिन 2.52 MLD कच्चे पानी की निरंतर उपलब्धता अनिवार्य है। इतनी बड़ी मात्रा केवल सतही जल (Surface Water) के भंडारण से ही पूरी की जा सकती है।

3. सतही जल का संवर्धन और भंडारण की आवश्यकता

कार्यालय नगर परिषद् अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म०प्र०)

E-Mail: Cmoamarkantak@mpurban.gov.in

fax No. 07629-269441

- अमृत 2.0 का उद्देश्य: AMRUT 2.0 के दिशानिर्देशों के तहत अमरकंटक को भूजल पर निर्भरता कम करनी होगी और नर्मदा नदी जैसे भरोसेमंद सतही स्रोत को अपनाना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही भूजल स्रोतों पर निर्भरता कम करना है तथा वर्ष पर आधारित पेयजल योजना को कार्य में लाना है जिस हेतु डैम का निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण है।
- सूखे मौसम में कम बहाव: नर्मदा नदी में प्राकृतिक रूप से गर्मियों और सूखे के महीनों में पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है।
- बैराज का औचित्य: नदी में साल भर पानी का पर्याप्त स्तर बनाए रखने और सूखे के दिनों में भी लगातार 2.52 MLD पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं ग्रीष्म ऋतु में जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए के लिए कपिल धारा पर एक बैराज (बांध) बनाकर पानी रोकना तकनीकी रूप से बेहद जरूरी है

4. प्रस्तावित बैराज की तकनीकी विशेषताएं और कार्यप्रणाली

- सटीक भौगोलिक स्थिति: प्रस्तावित बैराज का स्थान अक्षांश (Latitude) $22^{\circ}42'1.91''N$ और देशांतर (Longitude) $81^{\circ}42'44''E$ पर निर्धारित है।
- विशाल भंडारण क्षमता: इस बांध के बनने से जलाशय की कुल जल भंडारण क्षमता 0.94 Mcum (मिलियन क्यूबिक मीटर) होगी, जो लंबे सूखे के दौरान भी पानी का बैकअप रखेगी साथ ही हैण्डपम्प व ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होने पर नगर का जल स्तर भी बढ़ेगा।
- ढांचे का आकार: इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 280 मीटर लंबा स्पिलवे (बैराज) निर्मित किया जाएगा।
- इंटेक वेल का जुड़ाव: बैराज के जलस्तर से 16 मीटर ऊंचे और 5 मीटर व्यास वाले एक पक्के (RCC) इनटेक वेल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ 22 KW के दो वर्टिकल टरबाइन रूपावट लगाए जाएंगे, ताकि पानी को बिना किसी रुकावट के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) तक लिफ्ट किया जा सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर (म०प्र०)

Web Site : WWW. Mpgov.in/ pwdmp email:- eepwdanomp@nic in

Phone No.:- 07659-222377

Fax No.:-07659- 222003

क्रमांक / 1307 / तक / 2024-25
प्रति,

/ अनूपपुर दिनांक 13/8/24

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगर परिषद अमरकंटक (म०प्र०)

विषय :- अमृत 2.0 योजना के तहत निकाय की जलावर्धन योजना के तहत कपिलधारा क्षेत्र में बैराज निर्माण में अनापत्ति विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 858 / न.परि. / लोक निर्माण / 2024 अमरकंटक दिनांक 05.06.2024।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि अमृत 2.0 योजना के तहत निकाय की जलावर्धन योजना के तहत कपिलधारा पहुँच मार्ग में आपके विभाग द्वारा बैराज निर्माण का किया जाता है तो लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सहपत्र :- शून्य।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग अनूपपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक / / तक / 2024-25

/ अनूपपुर दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कलेक्टर, जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर (म.प्र.)

Phone & Fax No. 07659-222355, E-Mail – wrdanuppur@gmail.com

क्रमांक /कार्य/NOC /2025-26

अनूपपुर, दिनांक

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर परिषद् अमरकंटक,
जिला – अनूपपुर (म.प्र.)

विषय:- अमृत 2.0 योजना के तहत निकाय की जलावर्धन योजना के तहत कपिलधारा क्षेत्र में बैराज निर्माण में अनापत्ति विषयक।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 334/न.परि./तक./2026 अमरकंटक, दिनांक 18.03.2026

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि अमृत 2.0 योजना के तहत निकाय की जलावर्धन योजना के तहत कपिलधारा पहुँचमार्ग में आपके विभाग द्वारा बैराज निर्माण का किया जाता है तो जल संसाधन संसाधन संभाग अनूपपुर को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सहपत्र:- शून्य।

Digitally signed by
Kamta Prasad Kadiyam
Date: 25-03-2026
12:01:45

(के.पी. कड़ियाम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग अनूपपुर

जिला- अनूपपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक

/कार्य/NOC /2025-26

अनूपपुर, दिनांक

प्रतिलिपि:-

कलेक्टर अनूपपुर, जिला – अनूपपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(के.पी. कड़ियाम)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग अनूपपुर

जिला- अनूपपुर (म.प्र.)



कार्यालय कनिष्ठ अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.अमरकंटक

क्रमांक / कनि.अभि. / 60

अमरकंटक दिनांक 04.06.2026

प्रति,

✓ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर

विषय- अमृत 2.0 योजना के तहत निकास की जलावर्धन योजना के तहत कपिल धारा क्षेत्र में बैराज निर्माण में अनापत्ति के संबंध में।

संदर्भ- 1 पत्र क्रमांक 185 अमरकंटक दिनांक 24.03.2026।

2 कार्यालय नगर परिषद अमरकंटक पत्र क्रमांक 584/नगपरि0/तक/2026 अमरकंटक दिनांक 11.05.2026।

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि कपिल धारा क्षेत्र में डैम निर्माण कार्य प्रस्तावित है इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 185 अमरकंटक दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि कपिल धारा क्षेत्र में 11 केवी लाईन 02 किलोमीटर 63 के.वी.ए डीटीआर 02 नम्बर टैपिंग 04 नम्बर एवं एल.टी लाईन 0.5 किलोमीटर स्थापित है।

उपरोक्त लाईन शिफ्टिंग का कार्य अमृत 2.0 कपिलधारा डैम परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है तो इस आशय से म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. अमरकंटक को कपिल धारा क्षेत्र में बैराज निर्माण कार्य में कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र आपकी ओर प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियंता
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. अमरकंटक

क्रमांक-कनि.अभि./अ.कं./

अमरकंटक दिनांक

प्रतिलिपि-

- 1 दन मण्डलाधिकारी दन मण्डल अनूपपुर जिला म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 2 अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. अनूपपुर वृत्त।
- 3 कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.संभाग अनूपपुर।
- 4 अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व पुष्कराजगढ़ जिला अनूपपुर की सादर सूचनार्थ।
- 5 कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 6 परियोजना अधिकारी जिला सहरी विकास अभिकरण जिला अनूपपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 7 सहायक अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. राजेन्द्रगाम।

कनिष्ठ अभियंता
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. अमरकंटक

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्दर आने वाले वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार सख्या (FRL2)

क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई
1	साल	135	42	साल	129	83	साल	74
2	साल	130	43	साल	85	84	साल	70
3	साल	115	44	साल	100	85	साल	105
4	साल	160	45	साल	90	86	साल	130
5	साल	174	46	साल	150	87	साल	140
6	साल	140	47	साल	70	88	साल	74
7	साल	128	48	साल	112	89	साल	75
8	साल	120	49	साल	60	90	साल	100
9	साल	95	50	साल	174	91	साल	92
10	साल	148	51	साल	65	92	साल	98
11	साल	155	52	साल	135	93	साल	140
12	साल	55	53	साल	74	94	साल	170
13	साल	115	54	साल	100	95	साल	150
14	साल	128	55	साल	150	96	साल	84
15	साल	80	56	साल	100	97	साल	120
16	साल	138	57	साल	112	98	साल	98
17	साल	90	58	साल	115	99	साल	65
18	साल	100	59	साल	140	100	साल	65
19	साल	120	60	साल	100	101	साल	50
20	साल	128	61	साल	115	102	साल	65
21	साल	184	62	साल	62	103	साल	85
22	साल	160	63	साल	112	104	साल	286
23	साल	164	64	साल	75	105	साल	140
24	साल	100	65	साल	115	106	साल	88
25	साल	75	66	साल	135	107	साल	90
26	साल	85	67	साल	135	108	साल	140
27	साल	185	68	साल	148	109	साल	106
28	साल	80	69	साल	122	110	साल	75
29	साल	100	70	साल	135	111	साल	174
30	साल	150	71	साल	95	112	साल	100
31	साल	90	72	साल	95	113	साल	125
32	साल	145	73	साल	134	114	साल	85
33	साल	125	74	साल	110	115	साल	65
34	साल	155	75	साल	80	116	साल	75
35	साल	120	76	साल	85	117	साल	192
36	साल	130	77	साल	144	118	साल	132
37	साल	128	78	साल	70	119	साल	145
38	साल	170	79	साल	90			
39	साल	135	80	साल	155			
40	साल	135	81	साल	128			
41	साल	110	82	साल	90			


परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र करंजिया पूर्व

गोलाई वर्ग	गोशवारा	समस्त प्रजाति नग
31-40		2
41-50		1
51-60		33
61-90		31
91-120		37
151-180		11
Above-180		4
Total =		119

प्रजातिवार गोशवारा

प्रजाति	31-40	41-50	51-60	61-90	91-120	151-180	Above-180
साल	2	1	33	31	37	11	4

महायोग
साल = 119

Handwritten signature

वन परिक्षेत्र अधिकारी
व पूर्व वन विभाग संमित्या पूर्व

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्दर आने वाले वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार सख्या (FRL4)

क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई			
1	साल	192	26	साल	85			
2	साल	190	27	साल	110			
3	साल	90	28	साल	130			
4	साल	65	29	साल	68			
5	साल	128	30	साल	172			
6	साल	90	31	साल	88			
7	साल	90	32	साल	180			
8	साल	105	33	साल	135			
9	साल	82	34	साल	75			
10	साल	190	35	साल	138			
11	साल	115	36	साल	105			
12	साल	75	37	साल	178			
13	साल	120	38	साल	50			
14	साल	70	39	साल	135			
15	साल	180	40	साल	80			
16	साल	130	41	साल	115			
17	साल	150	42	साल	140			
18	साल	112	43	साल	120			
19	साल	80						
20	साल	170						
21	साल	190						
22	साल	90						
23	साल	180						
24	साल	195						
25	साल	94						

परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र करंजिया पूर्व

गोलाई वर्ग	गोशवारा	समस्त प्रजाति नग
31-40		1
41-50		0
51-60		14
61-90		9
91-120		8
151-180		6
Above-180		5
Total		43

प्रजातिवार गोशवारा

प्रजाति	31-40	41-50	51-60	61-90	91-120	151-180	Above-180
साल	1	0	14	9	8	6	5

महायोग
साल = 43


वन संरक्षण अधिकारी
वन पूर्व क्षेत्र जिला सीमान्त पूर्व

FORM-1
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Anuppur.

TO WHOM IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.418 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P). for Construction of Kapil Dhara Dam, of Block Pushpraghar in Anuppur district fall within jurisdiction of Range Kapil Dhara Village Harra Tola (RF-228 and 229) in Pushpraghar Tehsils. It is further certified that :

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.418 hectares (RF-228 and 229) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure II to annexure 14.
- (B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (C) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.
- Encl: As above.

(HarshalPancholi)
Collector
District-Anuppur.

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forest(Land Management), Satpura Bhawan, Bhopal, M.P
2. Director, Tribal Area Development Projects, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P
3. DFO, Anuppur
4. SDM, Pushpraghar, Dist. Anuppur.
5. CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P).
6. Gram Panchayat Harra Tola Block Pushpraghar Dist. Anuppur.

Digitally signed by
HARSHAL PANCHOLI
Date: 14-05-2026
13:46:15

Collector
District - Anuppur.

(For projects other than linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Dindori

No. 353.

Date 07/05/26

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 14.00 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Office of the CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P.). For Construction of Kapil Dhara Dam, regarding issue of Forest Right Act (FRA) in Dindori district falls within jurisdiction of Following Villages & Compartment no's in BajagTehsil.

S.N.	Compartment No.	Village	Total Area Required
1	834 RF	Bargon	14.00
		Total :-	14.00

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 14.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division level committee (s), and the District level Committee are enclosed.
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.
- the each of concerned Gram Sabha (S), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- the rights of primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

(Anju Pawan Bhadoria)
Collector & District Magistrate
Distt-Dindori (M.P.)

Environmental Assessment Report: Impacts of Water Resource Management and Conservation in the Upper Narmada Basin (Amarkantak Region)

The Narmada River, originating from the sacred, high-altitude plateau of Amarkantak, serves as the hydrological lifeline of central India. While large-scale river interventions often provoke debate, the creation of strategically planned small-to-medium dams and check structures in the Upper Narmada Basin offers a thoughtful framework for ecological rejuvenation, agricultural climate resilience, and sustainable economic development.

Far from merely disrupting natural flows, well-managed water impoundment near the river's source introduces structured ecological and socioeconomic benefits that stabilize the entire downstream landscape. When planned with an emphasis on catchment area treatment, these interventions can yield highly favourable ecological outcomes. This report outlines the positive environmental impacts observed in the upper Narmada region's ecosystem following structured water management and dam construction.

1. Hydrology and Enhanced Groundwater Recharge

The crystalline bedrock and undulating terrain characteristic of the upper catchment often led to rapid monsoonal runoff, leaving the region vulnerable to water scarcity during dry summer months (Patel et al., 2024). Dams and check structures function as critical hydraulic shock absorbers. Prior to systematic water regulation, the upper Narmada basin experienced extreme seasonal fluctuations—ranging from intense monsoon torrents to severe dry-spell depletion.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

- **Runoff Mitigation:** By capturing intense monsoon precipitation, reservoirs reduce peak streamflow velocities, transforming a destructive seasonal surge into a manageable perennial asset (Kumar et al., 2024).
- **Aquifer or groundwater table Recharging:** The sustained hydrostatic pressure within a reservoir significantly accelerates downward percolation. This process revitalizes local fractured hard-rock aquifers, expands the surrounding Groundwater Potential Zones (GWPZ), and elevates the water table across nearby villages (Patel et al., 2024).
- **Perennial Water Availability:** Small reservoirs and check dams serve as balancing lakes, ensuring a steady, regulated flow of water throughout the year.
- **Enhancement of Local Microclimate and Vegetation Cover:** The creation of reservoirs in the upper basin alters the localized humidity profiles of the semi-arid central Indian landscape.

2. Microclimate Regulation and Climate Change Adaptation

Climate projections indicate an increase in extreme weather events and temperature fluctuations across central India (Kumar et al., 2024; Mukherjee, 2018).

- **The Thermal Buffer Effect:** The presence of a localized, permanent water body alters the microclimate of the upper basin through the sensible heat exchange of evaporation.
- **Humid Microclimate:** The evaporative cooling from expanded water surfaces raises local humidity levels. This creates an optimal microclimate for the dense Sal (*Shorea robusta*) and mixed deciduous forests native to the Maikal Hills of Amarkantak.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

- **Mitigating Extremes:** This evaporative cooling helps buffer the surrounding forests from extreme summer heat waves, stabilizes ambient humidity, and provides an essential moisture shield that protects the fragile, climate-sensitive Sal (*Shorea robusta*) ecosystems native to Amarkantak (Thakur et al., 2024).
- **Sustained Catchment Greening:** Reservoir formation is legally paired with *Catchment Area Treatment (CAT)* and mandatory compensatory afforestation. The availability of consistent moisture allows these newly planted forest corridors to thrive, preventing the soil erosion that historically plagued the steep gradients near the origin.

3. Creation of Wetland Ecosystems and Avian Habitats

The transformation of a fast-flowing river channel into a structured reservoir creates stable, shallow wetland environments on the fringes of the impounded zones.

- **Migratory Bird Havens:** The calm, nutrient-rich waters of upper basin reservoirs attract diverse species of migratory and resident waterbirds (such as egrets, herons, and kingfishers) that previously could not nest along the turbulent, fast-moving rapids.
- **Aquatic Biodiversity:** The steady water levels foster macroinvertebrate and local fish populations, establishing a highly productive food web that supports the broader riparian ecosystem.

4. Agricultural Transformation and Soil Security

Historically, the agricultural matrix of the upper basin has been dominated by rain-fed, single-crop cultivation (monocropping) during the monsoon (Thakur et al., 2024).

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

- **Year-Round Irrigation:** Stabilized surface reservoirs allow farmers to shift from high-risk subsistence farming to secure, multi-cropping patterns (such as cultivating wheat, mustard, and pulses during the winter) (Thakur et al., 2024).
- **Soil Health and Erosion Control:** Mechanically, reservoirs arrest downstream soil erosion by trapping nutrient-rich topsoil silts that would otherwise be swept away. On a macro level, reliable access to surface water reduces the energy-intensive over-extraction of deeper groundwater aquifers, establishing a balanced, sustainable water-energy-food nexus (Patel et al., 2024).
- **Silt Trapping:*** Smaller dams and barrages act as highly effective silt traps. By capturing heavy monsoonal silt upstream, they protect the pristine geological features downstream—such as the famous Kapildhara and Dudhdhara waterfalls—from excessive muddying and structural erosion.
- **Sustained Waterfall Longevity:*** Regulated water release ensures that these iconic natural waterfalls maintain an aesthetically pleasing, ecologically viable flow even during lean summer months, rather than drying up to a trickle.

5. Biodiversity Enrichment and New Ecosystem Creation

While terrestrial vegetation undergoes a transition during initial reservoir filling, the long-term ecological outcome is often a highly productive ecotone—the transition zone between land and water.

- **Avian and Aquatic Habitats:** The newly created perennial water body acts as an oasis, drawing diverse migratory bird species and establishing a rich habitat for lacustrine (lake-dwelling) flora and fauna.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद अमरकंटक
 जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

- **Forest Vitality:** The elevated water table feeds the root systems of the adjacent riparian forest, maintaining vegetation greenness and preventing forest fires during the hyper-arid pre-monsoon season.

6. Mitigation of Soil Erosion and Downstream Sedimentation

The geographical gradient descending from the 1,057-meter-high Amarkantak Plateau is incredibly steep, historically causing heavy run-off and topsoil scraping.

- **Silt Trapping:** Smaller dams and barrages act as highly effective silt traps. By capturing heavy monsoonal silt upstream, they protect the pristine geological features downstream—such as the famous Kapildhara and Dudhdhara waterfalls—from excessive muddying and structural erosion.
- **Sustained Waterfall Longevity:** Regulated water release ensures that these iconic natural waterfalls maintain an aesthetically pleasing, ecologically viable flow even during lean summer months, rather than drying up to a trickle.

7. Ecotourism Socioeconomic Upliftment and Environmental Awareness

Amarkantak is already a renowned spiritual and cultural destination, marking the geographic origin of the sacred Narmada (Shelat).

- **Diversified Tourism Appeal:** Integrating pristine reservoir lakes into this landscape broadens its appeal by introducing low-impact ecotourism opportunities, such as boating, regulated sport fishing, and lakeside bird-watching trails.
- **Local Economic Resilience:** This diversification generates non-extractive livelihood opportunities for the local tribal and rural communities, steering the local economy away from ecologically

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 201

करंजिया दिनांक / 23/03/2026

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

द्वारा :-

उप वनमण्डलाधिकारी उप वनमण्डल गाड़ासरई।

विषय :-

जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अन्तर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हेक्टेयर (अनूपपुर की 3.418 हेक्टेयर एवं वनमण्डल डिण्डौरी की 14.000 हेक्टेयर) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत् प्रतिवेदन।

सन्दर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./52 डिण्डौरी दिनांक 05.01.2026

—:00:—

विषयांकित सन्दर्भ में निवेदन है कि, वन परिक्षेत्र पूर्व करंजिया सामान्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अन्तर्गत कपिलधारा डैम निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि कक्ष क्रमांक आरएफ 834 रकबा 14.00 हेक्टेयर में मौका स्थल का निरीक्षण वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की संयुक्त उपस्थिति में किया गया। आपके द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक 07 एवं 11 की जानकारी निम्नानुसार है :-

7 - वन मण्डल डिण्डौरी के अन्तर्गत परिक्षेत्र पूर्व करंजिया सामान्य के बीट खुरखुरीदादर में प्रस्तावित जलाशय स्थल के डूब क्षेत्र में कुल 162 वृक्षों की गणना कर गोशवारा तैयार कर आपके ओर प्रेषित है।

11 -भारत सरकार के चाहे अनुसार बांध निर्माण से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ आस पास के वन्यजीवों कक्ष क्रमांक 834 से लगा कक्ष क्रमांक 833,835,में वन्यप्राणियों की बहुल्य क्षेत्र हैं। एवं गश्ती के दौरान दिनांक 10.02.2026, 17.02.2026, 24.02.2026, 27.2.2026 को वन्यप्राणी मादा बाघ एवं शावक पाया गया है अतः यह क्षेत्र वन्यप्राणी के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र के वन का घनत्व तृतीय श्रेणी 0.6 है। उक्त क्षेत्र में वन्यप्राणी चीतल, लंगूर, बन्दर, जंगली सुअर यदाकदा विचरण करते रहते हैं एवं वन्यप्राणी का रहवास बना रहता है।

प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- गश्तीदल रिपोर्ट


वन परिक्षेत्राधिकारी
पूर्व करंजिया सा.

कार्यालय नगर परिषद अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail: cmoamarkantak@mpurban.gov.in

Fax No. 07629-269441

प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक दिनांक 11.06.2024

स्थान:- नगर परिषद कार्यालय का सभा भवन

समय:- 03:30 बजे

आज दिनांक 11.06.2024 को समय 03:30 बजे नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक श्रीमति पार्वती सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

अनु.क्र.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदगण का नाम	वार्ड क्र.	हस्ताक्षर
1	श्रीमति पार्वती बाई / अध्यक्ष	11	सही/-
2	श्री जोहन लाल चन्द्रवंशी/पार्षद एवं सभापति	09	सही/-
3	श्रीमति निधि जैन /पार्षद एवं सभापति	12	सही/-
4	श्री शक्तिशर पाण्डेय / पार्षद एवं सभापति	13	सही/-
5	श्री देवानंद खत्री / पार्षद एवं सभापति	10	सही/-
6	श्रीमति उषा बाई/ पार्षद एवं सभापति	02	सही/-

उपस्थिति बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई:-

प्रस्ताव क्र. 05	संकल्प क्र. 94
कपिलधारा बैराज निर्माण के संबंध में अनापत्ति दिये जाने बावत् विचार एवं निर्णय।	नगर परिषद अमरकंटक की पेयजल योजना वर्ष 2016-17 से लंबित है, चुकि नगरीय क्षेत्र में स्थित कपिलधारा क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बैराज निर्माण किया जाना है, जिसकी भूमि वन विभाग के अन्तर्गत निहित है। बैराज निर्माण निर्माण के प्रस्तावित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निजी/शासकीय निर्माण विद्यमान नहीं है। अतः बैराज निर्माण किये जाने पर नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।

सत्यप्रतिलिपि


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

हस्ता0/सही
अध्यक्ष
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0.)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय - श्रीगणेशाय नमः

~~File~~
7-14-4-2026

१. अर्थशास्त्र की प्रारंभिक निम्नलिखित का अर्थ
 निम्न प्रकार है कि वह एक विचार है कि मानव
 निर्माण के माध्यम से हमें अपने अर्थव्यवस्था
 को बढ़ावा देना चाहिए (अर्थव्यवस्था बढ़ाने) में निम्न
 शासकीय विचारों के माध्यम से।
 २. अर्थशास्त्र का अर्थ है कि हमें अपने अर्थव्यवस्था
 को बढ़ावा देना चाहिए (अर्थव्यवस्था बढ़ाने) में निम्न
 शासकीय विचारों के माध्यम से।

श्रीमान् पंचायत कबीर मय्य शुभचिन्तित्वात्
ज.प.प्रदीपिका

सचिव
श. कबीर मय कुल
ज. प. क. उ. या
५/१२/५५

Amarkantak WS Barrage Project

Cost Benefit Analysis

On the basis Guldellnes for forest land diversion 2018

Table-A Cases under which a cost benefit analysis for Forest diversion area required

No.	Nature of Proposal	Applicable/Not	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectare in plains and up to 5 hectare in hills	Not applicable	
2	Proposals for defence Installation purpose and oil prospecting (Prospecting only)	Not applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction	Not applicable	
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectare in plains and more than 5 hectares in Hill including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific Installation like micro-wave station, auto retreater centers, TV towers etc.	Applicable as Forest land has area >5 Hectares and < 20 Hectares.	The project is proposed for primarily Drinking Water Supply work for the Amarkantak ULB/ Town area. The project permission requires to set up transmission lines, Intake Well, Water Supply pipe lines and approach roads.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

Table-B Estimation of Cost of Forest Diversion

No.	Parameters	Remarks
1	Ecosystem service losses due to Proposed Forest diversion	Economic value of loss of ecosystem services due to diversion of forests shall be the Net present Value of the the forest land being Diverted as prescribed by the Central Government (MoEF & CC) is Rs. 12.28 Lakh/Ha $12.28 \times 17.418 = 213.89034$ Lakh Cost of land
2	Loss of animal husbandry productivity including cost of fodder.	10% OF NPV i.e. $= 12.28 \times 17.418 \times 10\% = 21.389304$ Lakhs
3	Cost of human resettlement	There is no loss of public properties and administration infrastructures of forest land due to construction of Amarkantak Water Supply Barrage. no cost has been added on this account.
4	Loss of Public facilities and administrative infrasture (Road, building, schools, dispensaries, ecetries, railways, etc.) on forest land which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	There is no loss public facilities and administration infrastructures of forest land due to construction of Amarkantak Water Supply Barrage project, no cost has been added on this account
5	Possession value of forest land diverted	The possession value of forest land diverted is taken 30% of the N.P.V. due to loss of forest i.e. i.e. $12.28 \times 17.418 \times 30\% = 64.167912$ Lakhs
6	Cost of suffering of oustees	Not Applicable
7	Habitat Fragmentation Cost	(Froes) land is being acquired for Laying of pipeline. Construction of Delivery Chamber and Transmission Line of Amarkantak Water Supply Barrage project. There is no amount is taken under this account.
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost.	The cost @ Rs. 4.00 Lakh per ha is taken for compensatory afforestation and soil moisture conservation. Hence amount will be $17.418 \times 4.00 = 69.672$ Lakh.
9	Total Cost due to forest land diversion	Total cost due to forest land diversion for Amarkantak Water Supply Barrage project will be $213.89034 + 21.389304 + 64.167912 + 69.672$ Rs. 369.119556 Lakh.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

Amarkantak WS Barrage Project
Cost Benefit Analysis
PARAMETER FOR EVALUATION OF LOSSES OF FOREST

No.	Parameters	Irrigation Project
1	Increase in Productivity attributed to the specific project.	The Amarkantak WS Barrage Project is conceived to cater drinking water supply to Amarkantak town and floating population of place being a religious place for Hindu pilgrimage. This will provide safe, treated drinking water for population from surface water source thereby replacing dependability on ground water resources in the command area.
2	Benefits to economy	The main objective of Amarkantak WS Barrage Project is to cater drinking water supply to Amarkantak town and floating population of place, being a religious place for Hindu pilgrimage. This will provide safe, treated drinking water for population from surface water source thereby replacing dependability on ground water resources in the command area, 2. The water body of this dam will also be to provide the recreation facility and water sports of two districts Anuppur and Dindori after completion in this region.
3	Number of population benefited	The Amarkantak WS Barrage Project is conceived to cater drinking water to population of 8454 of ULB Amarkantak of District Anuppur as per 2011 census data and floating population of on average 10,000 per day
4	Employment Potential	During the construction stage temporary employment to 3000-man day and permanent employment to 50 person shall be generated for 24 months.
5	Cost of acquisition facility on non-forest land wherever feasible	No. Human Commodity will be affected due to construction of project.
	Loss of agriculture and Animal Husbandry Production due to Diversion	No loss of agriculture envisaged. No loss in animal husbandry production.
	Cost of rehabilitating the displacement persons as different from	Not Applicable. Based on survey, it was found that there is no displacement due to project and as such no resettlement issue related project.
	Cost of supply of free Fuel wood to workers residing in or near forest area during period of construction	The labor camps will be facilitated with kerosene/LPG facilities and hence no tree cutting shall be there for fuel wood.
	Total benefit due to project.	Total Benefit Per Year 1. House Service Connection Charges: 1500 Nos @ 2700/No = Rs. 40,50,000.00 2. House Service Connection Charges: @ 250 Per month @ 2000 nos = Rs. 60,00,000.00 3. Recreation Facilities: Rs 40,00,000.00 Total Rs. 1,40,50,000.00

Cost Benefit Analysis:-

- (i) Total Benefit due to project (Rs. 1,40,50,000.00)
(ii) Total Annual Cost (Expenditure Rs 57,34,9000.00)
(iii) Benefit Cost Ratio 4.08

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर (म0प्र0)

E.mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्र./मा.चि./2026/

1047

अनूपपुर, दिनांक 19/06/2026

प्रति,

वन संरक्षक

वन वृत्त शहडोल

विषय :-

जिला अनूपपुर एवं डिण्डौरी के अंतर्गत कपिलधारा बांध निर्माण हेतु 17.418 हे. (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे. एवं वन मण्डल डिण्डौरी की 14.00 हे.) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बावत्।

FP/MP/WATER/50101/2020

संदर्भ :-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 822664 दिनांक 30.09.2025

2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर का पत्र क्रमांक 742 दिनांक 15.06.2026

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPR/032/2023-BHO दिनांक 22.12.2023 से प्रकरण में 14 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी, भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्रमांक 3299 दिनांक 18.06.2025 से आपकी ओर प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा प्रेषित जानकारी में पुनः 09 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद अमरकंटक द्वारा संदर्भित पत्र से अपनी जानकारी इस कार्यालय में परिवेश पोर्टल के माध्यम से एवं हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया गया है। एकजाई समस्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्र.	विवरण	कार्यवाही
02	आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्र. D(i) में अपलोड तुलनात्मक विवरण पत्रक 18.605 हे. वनभूमि का अपलोड किया गया है जबकि परियोजना के निर्माण हेतु 17.418 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा वन मण्डलाधिकारी द्वारा की जाकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है साथ ही प्रस्तावित वन भूमि की Alternative KML File पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है।	उक्त बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि तुलनात्मक विवरण पत्रक में वन मण्डल अधिकारी द्वारा अनुसंशित वन भूमि 17.418 हे0 सही जिसे मान्य किया जावे। परियोजना स्थापित करने के लिए अन्य कोई स्थल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण वैकल्पिक परियोजना की केएमएल फाईल पोर्ट में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। संलग्न-1
03	औचित्य टीप पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, अतः परियोजना को वनक्षेत्र में स्थापित करने के संबंध में एक तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।	आवेदक संस्थान द्वारा विस्तृत रूप से तकनीकी विस्तृत औचित्य टीप तैयार की जा चुकी है। संलग्न- 2, 3
04	प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग का NOC पत्र संलग्न किया गया है विद्युत विभाग, जलसंसाधन विभाग आदि विभागों का NOC पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।	आवेदक संस्थान द्वारा लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग अनूपपुर, एवं विद्युत विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न- 4, 5, 6
07	वनमंडलाधिकारी, अनूपपुर/डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत वृक्षां की जानकारी सही नहीं है अतः बांध निर्माण में आने वाले वृक्षां की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना पत्रक प्रस्तुत करें।	परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली वृक्षां की गणना FRL, FRL-2 मीटर एवं FRL-4 मीटर पर की जाकर गणना की गई गणना पत्रक संलग्न है। संलग्न- 7 18

08	प्रकरण में पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 17.418 हे. वनभूमि के विरुद्ध CA हेतु 36.269 है गैर वनभूमि प्रस्तावित की गई थी, इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जावे। साथ ही यह भी लेख है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है।	प्रकरण में 17.418 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसके विरुद्ध निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। <table><tr><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>ग्राम का नाम</th><th>रकबा (हे.मे.)</th><th>भूमि की नॉईयत</th><th>रिमार्क</th></tr><tr><td>अमरकंटक</td><td>अमरकंटक</td><td>15.419</td><td>राजस्व भूमि</td><td>मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।</td></tr><tr><td>राजेन्द्रग्राम</td><td>करौदाटोला (पडवाडोंगरी)</td><td>20.850</td><td>राजस्व वनभूमि</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।</td></tr></table>	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे.मे.)	भूमि की नॉईयत	रिमार्क	अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।	राजेन्द्रग्राम	करौदाटोला (पडवाडोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।
परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे.मे.)	भूमि की नॉईयत	रिमार्क													
अमरकंटक	अमरकंटक	15.419	राजस्व भूमि	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 18.05.2023 से तकनीकी स्वीकृति जारी की गई।													
राजेन्द्रग्राम	करौदाटोला (पडवाडोंगरी)	20.850	राजस्व वनभूमि	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षारोपण हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 20.850 हे. उपलब्ध कराई गई है, उक्त भूमि पूर्व से वृक्ष आच्छादित होने के कारण खाली जगह पर 5000 पौधे के रोपण की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के आदेश क्रमांक 111 दिनांक 06.06.2026 से जारी की गई है।													
10	आवेदक संस्था द्वारा जिला कलेक्टर अनूपपुर को FRA प्रमाण पत्र आवंटित हेतु लेख किया गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जबकि परियोजना में डिण्डौरी जिले की वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। अतः कलेक्टर जिला डिण्डौरी से भी FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे।	आवेदक संस्थान द्वारा जिला डिण्डौरी एवं जिला अनूपपुर से FRA प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। संलग्न- 19, 20															
11	भारत सरकार के चाहे अनुसार बांध निर्माण से सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में किये गये अध्ययन पर आधारित विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।	आवेदक संस्थान द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के साथ-साथ आस-पास के वन्य जीवों पर पडने वाले विपरीत प्रभावों के संबंध में जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न -21 से 25															
12	बांध निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों/ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे साथ ही बैठक की पूर्ण कार्यवाही मय उपस्थिति पंजी सहित प्रस्तुत किया जावे।	आवेदक संस्थान द्वारा स्थानीय निवासी/ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा चुकी है। संलग्न -26, 27															
14	भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 01.08.2017 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप पर Cost Benefit Analysis तैयार किया जाकर पोर्टल पर निर्धारित बिन्दु में अपलोड किया जावे।	आवेदक संस्थान द्वारा cost benefit analysis report की जानकारी तैयार की जा चुकी है। संलग्न -28 से 30															

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

डेविड व्यंकटराव चनाप

(भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल अनूपपुर

पृ.क्र./मा.चि./2026/

1048

अनूपपुर, दिनांक 19/06/2026

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
- 3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

प्रभावित होने वाले वृक्षों का गोशवारा

FLR में प्रभावित वृक्ष

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	150 से ऊपर	योग
साल	<i>Shorea robusta</i>	0	48	170	190	141	54	603
साजा	<i>Terminalia tomentosa</i>	0	0	0	3	0	1	4
धावड़ा	<i>Anogeissus latifolia</i>	0	0	0	1	0	0	1
जामुन	<i>Syzygium cumini</i>	0	0	0	0	1	0	1
लेडिया	<i>Lagerstroemia parviflora</i>	0	0	0	0	0	1	1
Total		0	48	170	194	142	56	610

FLR 02 में प्रभावित वृक्ष

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	150 से ऊपर	योग
साल	<i>Shorea robusta</i>	0	6	18	13	13	11	61
साजा	<i>Terminalia tomentosa</i>	0	0	0	1	0	0	1
लेडिया	<i>Lagerstroemia parviflora</i>	0	0	0	0	1	0	1
अमलतास	<i>Cassia fistula</i>	0	0	1	0	0	0	1
Total		0	6	19	14	14	11	64

FLR 04 में प्रभावित वृक्ष

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	150 से ऊपर	योग
साल	<i>Shorea robusta</i>	0	4	19	10	12	9	54
साजा	<i>Terminalia tomentosa</i>	0	0	0	2	0	0	2
Total		0	4	19	12	12	9	56

FLR, FLR 02, FLR 04 का गोशवारा

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	0-30	31-60	61-90	91-120	121-150	150 से ऊपर	योग
साल	<i>Shorea robusta</i>	0	58	207	213	166	74	718
साजा	<i>Terminalia tomentosa</i>	0	0	0	6	0	1	7
धावड़ा	<i>Anogeissus latifolia</i>	0	0	0	1	0	0	1
जामुन	<i>Syzygium cumini</i>	0	0	0	0	1	0	1
लेडिया	<i>Lagerstroemia parviflora</i>	0	0	0	0	1	1	2
अमलतास	<i>Cassia fistula</i>	0	0	1	0	0	0	1
Total		0	58	208	220	168	76	730

वन मण्डलाधिकारी
मैन मण्डल अनूपपुर

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्दर आने वाले
वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार संख्या (FRL)

क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई
1	साल	180	35	साल	104	69	साल	70
2	धवा	110	36	साल	210	70	साल	80
3	साल	160	37	साल	70	71	साल	58
4	साल	300	38	साल	132	72	साल	74
5	साल	150	39	साल	84	73	साल	98
6	साल	150	40	साल	170	74	साल	80
7	साल	120	41	साल	110	75	साल	84
8	साल	160	42	साल	120	76	साल	110
9	साल	170	43	साल	100	77	साल	110
10	साल	170	44	साल	150	78	साल	190
11	साल	150	45	साल	142	79	साल	64
12	साल	210	46	साल	116	80	साल	76
13	साल	210	47	साल	144	81	साल	96
14	साल	140	48	साल	190	82	साल	112
15	साल	80	49	साल	120	83	साल	110
16	साल	70	50	साल	88	84	साल	122
17	साल	130	51	साल	150	85	साल	122
18	साल	112	52	साल	142	86	साल	190
19	साल	126	53	साल	120	87	साल	122
20	साल	300	54	साल	130	88	साल	68
21	साल	156	55	साल	90	89	साल	110
22	साल	140	56	साल	64	90	साल	100
23	साल	100	57	साल	118	91	साल	134
24	साल	100	58	साल	70	92	साल	170
25	साल	100	59	साल	140	93	साल	180
26	साल	126	60	साल	110	94	साल	74
27	साल	144	61	साल	98	95	साल	134
28	साल	80	62	साल	190	96	साल	100
29	साल	80	63	साल	60	97	साल	56
30	साल	150	64	साल	108	98	साल	90
31	साल	120	65	साल	120	99	साल	94
32	साल	144	66	साल	66	100	साल	66
33	साल	140	67	साल	120	101	साल	270
34	साल	70	68	साल	112	102	साल	220

103	साल	190	138	साल	80	173	साल	90
104	साल	282	139	साल	140	174	साल	70
105	साल	170	140	साल	110	175	साल	68
106	साल	194	141	साल	90	176	साल	70
107	साल	118	142	साल	90	177	साल	90
108	साल	86	143	साल	70	178	साल	70
109	साल	62	144	साल	70	179	साल	140
110	साल	138	145	साल	110	180	साल	80
111	साल	80	146	साल	80	181	साल	140
112	साल	110	147	साल	120	182	साल	80
113	साल	120	148	साल	110	183	साल	110
114	साल	70	149	साल	110	184	साल	70
115	साल	60	150	साल	90	185	साल	90
116	साल	80	151	साल	150	186	साल	100
117	साल	100	152	साल	100	187	साल	90
118	साल	80	153	साल	120	188	साल	90
119	साल	80	154	साल	100	189	साल	80
120	साल	100	155	साल	100	190	साल	100
121	साल	120	156	साल	120	191	साल	110
122	साल	110	157	साल	120	192	साल	70
123	साल	130	158	साल	110	193	साल	140
124	साल	90	159	साल	150	194	साल	100
125	साल	110	160	साल	104	195	साल	60
126	साल	70	161	साल	136	196	साल	110
127	साल	50	162	साल	78	197	साल	110
128	साल	90	163	साल	144	198	साल	110
129	साल	80	164	साल	62	199	साल	190
130	साल	70	165	साल	118	200	साल	130
131	साल	100	166	साल	94	201	साल	80
132	साल	60	167	साल	70	202	साल	110
133	साल	110	168	साल	120	203	साल	90
134	साल	60	169	साल	70	204	साल	130
135	साल	100	170	साल	100	205	साल	110
136	साल	80	171	साल	70	206	साल	140
137	साल	100	172	साल	100	207	साजा	180

208	साल	100	243	साल	140	278	साल	100
209	साल	110	244	साल	80	279	साल	150
210	साल	120	245	साल	110	280	साल	130
211	साल	100	246	साल	140	281	साल	110
212	साल	120	247	साल	130	282	साल	160
213	साल	150	248	साल	80	283	साल	80
214	साल	70	249	साल	100	284	साल	140
215	साल	160	250	साल	150	285	साल	150
216	साल	110	251	साल	130	286	साल	110
217	साल	130	252	साल	110	287	साल	100
218	साल	100	253	साल	160	288	साल	110
219	साल	130	254	साल	80	289	साल	130
220	साल	90	255	साल	140	290	साल	160
221	साल	80	256	साजा	120	291	लेड़िया	160
222	साल	170	257	साल	150	292	साल	250
223	साल	190	258	साल	150	293	साल	210
224	साजा	110	259	साल	180	294	साल	130
225	साल	70	260	साल	110	295	साल	90
226	साल	140	261	साल	140	296	साल	130
227	साल	110	262	साल	110	297	साल	90
228	साजा	120	263	साल	100	298	साल	150
229	साल	150	264	साल	150	299	साल	130
230	साल	180	265	साल	120	300	साल	160
231	साल	110	266	साल	140	301	साल	120
232	साल	140	267	साल	70	302	साल	134
233	साल	110	268	साल	80	303	साल	70
234	साल	100	269	साल	150	304	साल	60
235	साल	150	270	साल	130	305	साल	54
236	साल	120	271	साल	90	306	साल	154
237	साल	140	272	साल	140	307	साल	92
238	साल	70	273	साल	80	308	साल	96
239	साल	80	274	साल	110	309	साल	106
240	साल	150	275	साल	140	310	साल	92
241	साल	130	276	साल	130	311	साल	60
242	साल	90	277	साल	80	312	साल	124

313	साल	128	348	साल	150	383	साल	122
314	साल	124	349	साल	184	384	साल	50
315	साल	150	350	साल	100	385	साल	100
316	साल	64	351	साल	104	386	साल	120
317	साल	88	352	साल	160	387	साल	74
318	साल	48	353	साल	140	388	साल	116
319	साल	70	354	साल	190	389	साल	66
320	साल	80	355	साल	150	390	साल	80
321	साल	114	356	साल	170	391	साल	78
322	साल	124	357	साल	138	392	साल	132
323	साल	120	358	साल	74	393	साल	70
324	साल	110	359	साल	84	394	साल	76
325	साल	66	360	साल	100	395	साल	110
326	साल	74	361	साल	96	396	साल	124
327	साल	92	362	साल	58	397	साल	110
328	साल	122	363	साल	134	398	साल	134
329	साल	122	364	साल	200	399	साल	140
330	साल	84	365	साल	106	400	साल	76
331	साल	58	366	साल	46	401	साल	60
332	साल	86	367	साल	90	402	साल	90
333	साल	110	368	साल	52	403	साल	54
334	साल	74	369	साल	44	404	साल	120
335	साल	86	370	साल	160	405	साल	54
336	साल	76	371	साल	56	406	साल	118
337	साल	170	372	साल	74	407	साल	120
338	साल	138	373	साल	134	408	साल	77
339	साल	60	374	साल	86	409	साल	140
340	साल	60	375	साल	72	410	साल	54
341	साल	132	376	साल	120	411	साल	160
342	साल	72	377	साल	76	412	साल	64
343	साल	176	378	साल	98	413	साल	46
344	साल	94	379	साल	102	414	साल	120
345	साल	104	380	साल	98	415	साल	90
346	साल	164	381	साल	136	416	साल	130
347	साल	126	382	साल	80	417	साल	140

418	साल	54	453	साल	50	488	साल	140
419	साल	60	454	साल	120	489	साल	84
420	साल	60	455	साल	90	490	साल	80
421	साल	80	456	साल	70	491	साल	130
422	साल	80	457	साल	130	492	साल	124
423	साल	110	458	साल	80	493	साल	120
424	साल	90	459	साल	100	494	साल	140
425	साल	120	460	साल	60	495	साल	130
426	साल	96	461	साल	140	496	साल	134
427	साल	90	462	साल	100	497	साल	80
428	जामुन	130	463	साल	200	498	साल	120
429	साल	140	464	साल	160	499	साल	98
430	साल	170	465	साल	140	500	साल	76
431	साल	130	466	साल	160	501	साल	100
432	साल	60	467	साल	144	502	साल	90
433	साल	150	468	साल	100	503	साल	90
434	साल	70	469	साल	80	504	साल	54
435	साल	120	470	साल	160	505	साल	120
436	साल	110	471	साल	80	506	साल	90
437	साल	110	472	साल	94	507	साल	100
438	साल	60	473	साल	100	508	साल	80
439	साल	70	474	साल	114	509	साल	150
440	साल	60	475	साल	124	510	साल	174
441	साल	90	476	साल	140	511	साल	84
442	साल	130	477	साल	100	512	साल	100
443	साल	140	478	साल	94	513	साल	100
444	साल	80	479	साल	128	514	साल	100
445	साल	60	480	साल	100	515	साल	144
446	साल	70	481	साल	124	516	साल	80
447	साल	50	482	साल	80	517	साल	100
448	साल	140	483	साल	120	518	साल	60
449	साल	80	484	साल	90	519	साल	84
450	साल	50	485	साल	100	520	साल	114
451	साल	70	486	साल	90	521	साल	94
452	साल	60	487	साल	80	522	साल	90

523	साल	80	558	साल	124	593	साल	92
524	साल	130	559	साल	160	594	साल	74
525	साल	64	560	साल	60	595	साल	150
526	साल	60	561	साल	60	596	साल	92
527	साल	70	562	साल	80	597	साल	104
528	साल	114	563	साल	134	598	साल	90
529	साल	80	564	साल	80	599	साल	100
530	साल	80	565	साल	100	600	साल	124
531	साल	110	566	साल	70	601	साल	94
532	साल	120	567	साल	90	602	साल	134
533	साल	114	568	साल	134	603	साल	112
534	साल	90	569	साल	114	604	साल	106
535	साल	120	570	साल	126	605	साल	110
536	साल	100	571	साल	100	606	साल	142
537	साल	120	572	साल	84	607	साल	134
538	साल	94	573	साल	100	608	साल	134
539	साल	70	574	साल	134	609	साल	80
540	साल	70	575	साल	94	610	साल	100
541	साल	84	576	साल	190			
542	साल	94	577	साल	134			
543	साल	50	578	साल	110			
544	साल	120	579	साल	144			
545	साल	74	580	साल	104			
546	साल	40	581	साल	106			
547	साल	60	582	साल	80			
548	साल	80	583	साल	114			
549	साल	70	584	साल	104			
550	साल	110	585	साल	124			
551	साल	134	586	साल	140			
552	साल	60	587	साल	114			
553	साल	100	588	साल	90			
554	साल	74	589	साल	80			
555	साल	100	590	साल	100			
556	साल	54	591	साल	142			
557	साल	110	592	साल	142			


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 अमरकंटक

गोशवारा

गोलाई वर्ग	समस्त प्रजाति नग
31-40	1
41-50	10
51-60	37
61-90	170
91-120	194
121-150	142
151-180	33
Above- 180	23
Total=	610

प्रजातिवार गोशवारा

प्रजाति	31-40	41-50	51-60	61-90	91-120	121-150	151-180	Above- 180
साल	1	10	37	170	190	141	31	23
साजा	0	0	0	0	3	0	1	0
धावड़ा	0	0	0	0	1	0	0	0
जामुन	0	0	0	0	0	1	0	0
लेड़िया	0	0	0	0	0	0	1	0
योग -	1	10	37	170	194	142	33	23

महायोग

साल	603
साजा	4
धावड़ा	1
जामुन	1
लेड़िया	1
महायोग -	610


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 अमरकंटक

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्दर आने वाले
वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार संख्या (FRL-02)

क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई
1	साल	116	35	साल	64
2	साल	190	36	साल	140
3	अमलतास	64	37	साल	130
4	साल	110	38	साल	100
5	साल	78	39	साल	58
6	साल	90	40	साल	42
7	साल	122	41	साल	140
8	साल	76	42	साल	196
9	साल	82	43	साल	74
10	साल	158	44	साल	128
11	साल	150	45	साल	80
12	साल	80	46	साल	50
13	साल	98	47	साल	98
14	साल	68	48	साल	90
15	साल	128	49	साल	110
16	साल	94	50	साल	50
17	साल	110	51	साल	102
18	साल	90	52	साजा	94
19	साल	82	53	साल	138
20	साल	140	54	साल	184
21	साल	88	55	साल	100
22	साल	88	56	साल	90
23	साल	78	57	साल	150
24	साल	92	58	साल	190
25	साल	134	59	साल	180
26	साल	100	60	साल	170
27	साल	60	61	साल	174
28	साल	146	62	साल	258
29	साल	142	63	साल	234
30	साल	92	64	साल	200
31	लेड़िया	144	 वन परिक्षेत्राधिकारी अमरकंटक		
32	साल	52			
33	साल	70			
34	साल	70			

गोशवारा

गोलाई वर्ग	समस्त प्रजाति नग
31-40	0
41-50	3
51-60	3
61-90	19
91-120	14
121-150	14
151-180	4
Above- 180	7
Total=	64

प्रजातिवार गोशवारा

प्रजाति	31-40	41-50	51-60	61-90	91-120	121-150	151-180	Above- 180
साल	0	3	3	18	13	13	4	7
साजा	0	0	0	0	1	0	0	0
लेडिया	0	0	0	0	0	1	0	0
अमलतास	0	0	0	1	0	0	0	0
योग -	0	3	3	19	14	14	4	7

महायोग

साल	61
साजा	1
लेडिया	1
अमलतास	1
महायोग -	64


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 अमरकंटक

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्दर आने वाले
वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार संख्या (FRL-04)

क्रमांक	प्रजाति	गोलाई	क्रमांक	प्रजाति	गोलाई
1	साल	134	35	साल	110
2	साल	72	36	साल	76
3	साल	142	37	साल	74
4	साल	126	38	साल	126
5	साल	204	39	साल	142
6	साल	130	40	साल	76
7	साल	100	41	साल	138
8	साल	100	42	साल	74
9	साल	164	43	साल	110
10	साल	100	44	साल	78
11	साल	178	45	साल	114
12	साल	40	46	साल	100
13	साल	70	47	साल	100
14	साल	142	48	साल	98
15	साल	90	49	साल	146
16	साल	64	50	साल	164
17	साल	70	51	साल	76
18	साल	82	52	साल	206
19	साल	164	53	साल	176
20	साल	84	54	साल	172
21	साल	78	55	साल	126
22	साल	70	56	साल	140
23	साजा	110			
24	साल	110			
25	साल	170			
26	साल	84			
27	साल	84			
28	साल	52			
29	साजा	118			
30	साल	66			
31	साल	52			
32	साल	52			
33	साल	132			
34	साल	66			


वन परिक्षेत्राधिकारी
अमरकंटक

गोशवारा

गोलाई वर्ग	समस्त प्रजाति नग
31-40	1
41-50	0
51-60	3
61-90	19
91-120	12
121-150	12
151-180	7
Above- 180	2
Total=	56

प्रजातिवार गोशवारा

प्रजाति	31-40	41-50	51-60	61-90	91-120	121-150	151-180	Above- 180
साल	0	1	3	19	10	12	7	2
साजा	0	0	0	0	2	0	0	0
लेडिया	0	0	0	0	0	0	0	0
योग -	0	1	3	19	12	12	7	2

महायोग

साल	54
साजा	2
लेडिया	0
महायोग -	56


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 अमरकंटक

FORM-I
(For linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Anuppur.

TO WHOM IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.418 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P.) for Construction of Kapil Dhara Dam, of Block Pushpraghar in Anuppur district fall within jurisdiction of Range Kapil Dhara Village Harra Tola (RF-228 and 229) in Pushpraghar Tehsils. It is further certified that :

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.418 hectares (RF-228 and 229) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure II to annexure 14.
- (B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (C) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.
- Encl: As above.

(HarshalPancholi)
Collector
District-Anuppur.

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forest(Land Management), Satpura Bhawan, Bhopal, M.P
2. Director, Tribal Area Development Projects, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P
3. DFO, Anuppur
4. SDM, Pushpraghar, Dist. Anuppur.
5. CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P).
6. Gram Panchayat Harra Tola Block Pushpraghar Dist. Anuppur.

Digitally signed by
HARSHAL PANCHOLI
Date: 14-05-2026
13:46:15

Collector
District - Anuppur.

FORM-II

Annexure-II

(For projects other than linear projects)

Government of India

Office of the District Collector Dindori

No...353.

Date 07/05/26

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is **certified that 14.00 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Office of the CMO Municipal Council Amarkantak, District Anuppur (M.P.). For Construction of Kapil Dhara Dam, regarding issue of Forest Right Act (FRA) in Dindori district falls within jurisdiction of following Villages & Compartment no's in BajagTehsil.

S.N.	Compartment No.	Village	Total Area Required
1	834 RF	Bargon	14.00
		Total :-	14.00

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **14.00 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub- Division level committee (s), and the District level Committee are enclosed.
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA.
- the each of concerned Gram Sabha (S), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- the rights of primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

(Anju Pawan Bhadoria)
Collector & District Magistrate
Distt-Dindori (M.P.)

कार्यालय नगर परिषद अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail: cmoamarkantak@mpurban.gov.in

Fax No. 07629-269441

प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक दिनांक 11.06.2024

स्थान:- नगर परिषद कार्यालय का सभा भवन

समय:- 03:30 बजे

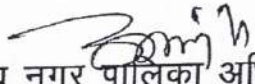
आज दिनांक 11.06.2024 को समय 03:30 बजे नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक श्रीमति पार्वती सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

अनु.क्र.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदगण का नाम	वार्ड क्र.	हस्ताक्षर
1	श्रीमति पार्वती बाई / अध्यक्ष	11	सही/-
2	श्री जोहन लाल चन्द्रवंशी/पार्षद एवं सभापति	09	सही/-
3	श्रीमति निधि जैन /पार्षद एवं सभापति	12	सही/-
4	श्री शक्तिशर पाण्डेय / पार्षद एवं सभापति	13	सही/-
5	श्री देवानंद खत्री / पार्षद एवं सभापति	10	सही/-
6	श्रीमति उषा बाई/ पार्षद एवं सभापति	02	सही/-

उपस्थिति बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई:-

प्रस्ताव क्र. 05	संकल्प क्र. 94
कपिलधारा बैराज निर्माण के संबंध में अनापत्ति दिये जाने बावत् विचार एवं निर्णय।	नगर परिषद अमरकंटक की पेयजल योजना वर्ष 2016-17 से लंबित है, चुकि नगरीय क्षेत्र में स्थित कपिलधारा क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बैराज निर्माण किया जाना है, जिसकी भूमि वन विभाग के अन्तर्गत निहित है। बैराज निर्माण निर्माण के प्रस्तावित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निजी/शासकीय निर्माण विद्यमान नहीं है। अतः बैराज निर्माण किये जाने पर नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।

सत्यप्रतिलिपि


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

हस्ता0/सही
अध्यक्ष
नगर परिषद अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0.)

ग्राम पंचायत छबरी मय
सुपरखरी बावुर - जमपद पंचायत 05/05/2026

दि. 14-4-2026

संशोधित कार्यवाही

विषय

उपस्थित
महोदय

पंचायत
प्रमुख महोदय

पंचायत
प्रमुख महोदय

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर
जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर जिला मजिस्ट्रेट

कमिशनर जिला मजिस्ट्रेट का कार्य
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वन विभाग के इन्फार्मेशन
मिशन के माध्यम से ग्राम मुख्यालय
कमिशनर (ग्राम मुख्यालय) को किमी
द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से
भूतल कविवर्य के ग्राम मुख्यालय
(ग्राम मुख्यालय) को किमी प्रका
महोदय। ग्राम मुख्यालय के माध्यम से

सचिव
ग्राम पंचायत कबीर मय सुपुत्री बावुर
ज.प.क.प.प.प.
दि. 14-4-2026

सचिव
ग्राम पंचायत कबीर
ज.प.क.प.प.प.
दि. 14-4-2026

कार्यालय नगर परिषद अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail: cmoamarkantak@mpurban.gov.in

Fax No. 07629-269441

प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक दिनांक 11.06.2024

स्थान:- नगर परिषद् कार्यालय का सभा भवन

समय:- 03:30 बजे

आज दिनांक 11.06.2024 को समय 03:30 बजे नगर परिषद् कार्यालय के सभाकक्ष में प्रेसिडेण्ट इन कॉउंसिल की बैठक श्रीमति पार्वती सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

अनु.क्र.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षदगण का नाम	वार्ड क्र.	हस्ताक्षर
1	श्रीमति पार्वती बाई / अध्यक्ष	11	सही / -
2	श्री जोहन लाल चन्द्रवंशी / पार्षद एवं सभापति	09	सही / -
3	श्रीमति निधि जैन / पार्षद एवं सभापति	12	सही / -
4	श्री शक्तिशर पाण्डेय / पार्षद एवं सभापति	13	सही / -
5	श्री देवानंद खत्री / पार्षद एवं सभापति	10	सही / -
6	श्रीमति उषा बाई / पार्षद एवं सभापति	02	सही / -

उपस्थिति बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई:-

प्रस्ताव क्र. 05	संकल्प क्र. 94
कपिलधारा बैराज निर्माण के संबंध में अनापत्ति दिये जाने बावत् विचार एवं निर्णय।	नगर परिषद अमरकंटक की पेयजल योजना वर्ष 2016-17 से लंबित है, चुकि नगरीय क्षेत्र में स्थित कपिलधारा क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बैराज निर्माण किया जाना है, जिसकी भूमि वन विभाग के अन्तर्गत निहीत है। बैराज निर्माण निर्माण के प्रस्तावित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निजी/शासकीय निर्माण विद्यमान नहीं है। अतः बैराज निर्माण किये जाने पर नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।

सत्यप्रतिलिपि


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

हस्ता0 / सही
अध्यक्ष
नगर परिषद् अमरकंटक
जिला-अनूपपुर (म0प्र0.)

ग्राम पंचायत कबीर मय

खुरखुरी दादर - जनपद पंचायत करंजिया

दिनांक 14-4-2026

क्र.सं.	उपस्थित सदस्य	विषय	संक्षिप्त कार्यवाही
---------	---------------	------	---------------------

1. जिला मजिस्ट्रेट
सदस्य

2. श्री कृष्ण सिंह
सदस्य

3. श्री देव सिंह
सदस्य

4. श्री राम सिंह
सदस्य

5. श्री राम सिंह

6. श्री राम सिंह

7. श्री राम सिंह

8. श्री राम सिंह

कपिलदास श्री
माला कि है
मिलि है। डेम
दादर ग्राम समी
पका का निमा

ग्राम समी कबीर
की कार्य शक्ति
पादित है।

नर्मदा नदी पर डेम निर्माण का कार्य
जिस पर इस वन विभाग के इन्तर्गत
निर्माण के माला कि डेम खुरखुरी
कबीर (मय खुरखुरी दादर) में किमी
शासकीय निर्माण किया जा रहा है
शत कपिलदास डेम निर्माण में
(मय खुरखुरी दादर) की किमी पका
गली है। माला कि डेम माला कि

सरपंच
ग्राम पंचायत कबीर
जनपद पंचायत करंजिया
बिला डिपटरी

सचिव
ग्राम पंचायत कबीर मय खुरखुरी दादर
ज.प. करंजिया
14/4/2026

श्री राम सिंह

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH,
NAGAR PARISHAD AMARKANTAK**



BARRAGE AT KAPILDHARA ON NARMADA RIVER

CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN



Prepared By: VLS Engineers - NIVV Consultancy Services

YEAR 2024-25